न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः– अरिवन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 66/2022 अपील (राजस्व)

जी.सी.एम.एस. नंबरः 2022/75

रामचन्द्र(रामलाल) पिता जमनालाल निवासीः मोरजाई, तहसील–वल्लभनगर, उदयपुर

—— **अपीलान्ट**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

—— **रेस्पोडेन्ट**

अपील विरूद्ध आदेश तहसलीदार वल्लभनगर प्रकरण संख्या 09/2022 ना.क. निर्णय दिनांक 28.07.2022 अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित : श्री विजय कुमार ओस्तवाल, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 2/9/25

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार वल्लभनगर के प्रकरण संख्या 09/2022 नाजायज कब्जा निर्णय दिनांक 28.07.2022 से नाराज होकर प्रस्तुत की गई हैं। विवरण निम्नानुसार हैः

पटवारी हल्का वल्लभनगर द्वारा एक रिपोर्ट तहसीलदार वल्लभनगर को इस आशय की प्रस्तुत की कि गांव मोरजाई तहसील वल्लभनगर के आराजी नंबर 1304 रकबा 0.0150 एवं आराजी नंबर 1305 रकबा 0.0300 किस्म पड़त प्रथम किस्म भूमि बिलानाम पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.07.2022 के जरिये बेदखली का आदेश देते हुए 100/– रुपये शास्ती आरोपित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को बिना शहादत सबूत, पेश करने का पर्याप्त अवसर दिये एवं बिना सुने कथित निर्णय देने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को बेदखल करने का आदेश दिया है जबकि उक्त भूमि अपीलाट के बाड़ा प्रयोजनार्थ काम में आ रही है और इस बाबत्

जिला कलक्टर
उदयपुर

तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा स्वीकृति भी जारी की हुई है एवं उक्त भूमि कृषि प्रयोजनार्थ काम में आ रही है। उन्हें यदि उक्त आदेश की आड़ में बेकब्जा कर दिया जाता है तो उन्हें भारी अशोधनीय हानि होगी। इस मामले में अपीलाण्ट से रंजिश रखने वाले व्यक्तियों द्वारा गलत शिकायत की गई और उस गलत शिकायत के आधार पर पटवारी वल्लभनगर द्वारा बिना नपती किये अपीलाण्ट के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही को अमल में लाया गया। अपीलाण्ट जिस जगह काबिज है उस भूमि बाबत् तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा अस्थाई स्वीकृति भी परिवार को दी गई है, उक्त भूमि के पास आबादी मकान है जिसका ग्राम पंचायत कीकावास द्वारा पट्टा भी जारी किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.2022 को नोटिस जारी किये जाने का आदेश प्रदान किया गया और पत्रावली वास्ते तामिल हेतु दिनांक 28.07.2022 को नियत की गई और दिनांक 28.07.2022 को ही अतिक्रमी अनुपस्थित और बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय कर पत्रावली फैसल कर दी गई और अपीलाण्ट को बेदखल करने का आदेश प्रदान कर दिया गया। अपीलाण्ट को उक्त मामले की कोई जानकारी नहीं थी और बिना सुने, बिना अवसर दिये अपीलाण्ट को बेदखल करने का आदेश प्रदान कर दिया गया है ऐसी स्थिति में इस मामले में अपीलाण्ट को सुना जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाना एवं शहादत सबूत पेश करने का अवसर दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की कोई जानकारी अपीलाण्ट को नहीं थी अपीलाण्ट को सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का द्वारा 91 के नोटिस के बारे में कहे जाने पर एवं तहसीलदार वल्लभनगर के न्यायालय में पेश करने बाबत् कहने पर दिनांक 11.09.22 को हुई जिस पर अपीलाण्ट दिनांक 12.09.2022 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर के न्यायालय में गया तो उसे उक्त निर्णय की जानकारी हुई। अपीलाण्ट द्वारा अपील को प्रस्तुत करने में जानबूझकर कोई लापरवाही नहीं की है। निर्णय तहसीलदार वल्लभनगर का है जो कि आपके अधीनस्थ है अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बमुकदमा नंबर 19/2022 ना.क. दिनांक 28.07.2022 में पारित निर्णय को निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। पेरोकार सरकार द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट ने

जिला कलक्टर
उदयपुर

अपनी खातेदारी भूमि के पास में बाडा बनाया है तथा इस बाबत् तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा स्वीकृति भी जारी की हुई है एवं उक्त भूमि कृषि प्रयोजनार्थ काम में आ रही है। आराजी संख्या 1304 पुराने का नया नंबर 419 है जो मुझ अपीलाण्ट को आवंटित की गई है। अपीलाण्ट का कब्जा पुराना होने से काबिल नियमन के है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखे बिना कथित निर्णय पारित करने मे भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर किये बिना पटवारी की रिपोर्ट, भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर जो निर्णय पारित किया है वह काबिल निरस्त के है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.2022 को नोटिस जारी किये जाने का आदेश प्रदान किया गया और पत्रावली वास्ते तामिल हेतु दिनांक 28.07.2022 को नियत की गई और दिनांक 28.07.2022 को ही अतिक्रमी अनुपस्थित और बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय कर पत्रावली फैसल कर दी गई और अपीलाण्ट को बेदखल करने का आदेश प्रदान कर दिया गया। अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है अतः न्यायहित में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

पेरोकार सरकार द्वारा अपीलार्थी के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि गांव मोरजाई तहसील वल्लभनगर के आराजी नंबर 1304 रकबा 0.0150 एवं आराजी नंबर 1305 रकबा 0.0300 किस्म पड़त प्रथम बिलानाम भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवार हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए प्रकरण धारा 91 के तहत दर्ज कर अतिक्रमी को सूचना पत्र जारी किये गये। अपीलाण्ट श्री रामचन्द्र(रामलाल) पिता जमनालाल द्वारा जानबूझकर बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमायी जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलाण्ट का कथन है कि उसे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न सम्मन दिनांक 18.07.2022 पर हितेश नागदा के हस्ताक्षर है, सम्मन प्राप्त करने वाले व्यक्ति हितेश नागदा का अपीलाण्ट से क्या संबंध है यह स्पष्ट नहीं है। वक्त बहस अपीलाण्ट द्वारा कथन किया गया है कि

जिला कलक्टर
उदयपुर

साबिक आराजी नंबर 419 से नये आराजी संख्या 1304 एवं 1305 बने है। आराजी संख्या 1304 अपीलाण्ट को आवंटित किया गया है। कथन की ताईद में सेटलमेंट की खसरा मिलान रजिस्टर की प्रति, तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा क्रमांक 2083–84 दिनांक 14.09.1990 को बाड़ा हेतु जमनालाल पिता मोतीलाल नागदा के नाम जारी आवंटन की प्रति प्रस्तुत की गई, साथ ही ग्राम पंचायत किकावास द्वारा श्री रामचन्द्र पिता जमनाशंकर के नाम से जारी पट्टे (आराजी नंबर 419) की प्रति प्रस्तुत की है। दस्तावेजों के साथ फोटोग्राफ एवं बिजली के बिलों की प्रति प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.2022 को प्रकरण दर्ज कर सम्मन दिनांक 18.07.2022 को जारी करते हुए अपीलाण्ट को अनुपस्थित बता अपीलाण्ट को सुने बिना ही दिनांक 28.07.2022 को निर्णय पारित कर दिया गया। अपीलाण्ट को अपना पक्ष एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलाण्ट को सुना जाकर, अपना पक्ष/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया जाना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार वल्लभनगर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलाण्ट को विधिवत तामिल करा, सुनवाई एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का समूचित अवसर प्रदान करे। साथ ही प्रार्थी वास्तविकता में यह आवंटन हुआ है या नहीं? वर्तमान में उक्त आवंटन अस्तित्व में है अथवा नहीं? की जांच करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पालनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर,
उदयपुर